E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2022; 5(1): 391-396
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 13-03-2024
Accepted: 16-04-2024

ज्योति मीना
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
जयनारायण व्यास विश्वविधालय,
जोधपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
ज्योति मीना
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
जयनारायण व्यास विश्वविधालय,
जोधपुर, राजस्थान, भारत

भारत में दलबदल विरोधी कानून का विश्लेषण

ज्योति मीना

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2023.v5.i1e.381

सारांश
भारतीय राजनीति में दलबदल 1960 के दशक के बाद से एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। जनता चुनाव के माध्यम से राजनीतिक दल के उम्मीदवार या किसी निर्दलीय को अपना मत देकर संसद/राज्य विधानमंडलों में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है ताकि वह सदन में उनके, हितों का प्रतिनिधित्व कर सके, लेकिन वह प्रतिनिधि धन और पद की लालसा में दल परिवर्तन कर अपनी निष्ठा बदल लेता है। इससे राजनीति में भ्रष्टाचार और अनैतिकता बढ़ती है तथा चुनी हुई सरकारों के स्थायित्व को खतरा पैदा होता है।इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया है। जिसमें दलबदल करने वाले सांसदों/विधायकों को संबंधित सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े गए हैं, लेकिन कानून के कई प्रावधानअस्पष्ट व विरोधाभासी हैं। जिसके कारण यह कानून आंशिक रूप से ही सफल रहा है। कानून लागू होने के बाद भी कई राज्यों में दलबदल के आधार पर सरकारी गिराई गई है। पिछली कुछ वर्षों में दल बदल के आधार पर गोवा 2017, कर्नाटक 2019, मध्य प्रदेश 2020, महाराष्ट्र 2022 आदि राज्यों में सरकार अल्पमत में आ गई और उनका विघटन हो गया। प्रस्तुत शोधपत्र में दल परिवर्तन के कारण, दलबदल विरोधी कानून के प्रावधान, कानून की खामियां, संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय व सुधार हेतु दिए गए सुझावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किये गये हैं।

कूट शब्द: लोकतंत्र, संसदीय शासन, राजनीतिक दल, दलबदल, दलबदल विरोधी कानून

प्रस्तावना
भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है । संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में से होता है तथा कार्यपालिका अपने अस्तित्व एवं स्थायित्व के लिए विधायिका के निरंतर समर्थन पर निर्भर रहती है। अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में संसदीय प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
निर्वाचित प्रतिनिधि जहां अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता व उस राजनीतिक दल के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसके चुनाव चिन्ह पर यह निर्वाचित हुआ है। दलीय प्रणाली पर निर्भर शासन प्रणाली के स्थायित्व के लिए दल परिवर्तन की घटनाएं चिंता का विषय रही है। जिसका सामना दुनिया के कई संसदीय लोकतंत्र द्वारा किया जा रहा है।

भारत में दलबदल का इतिहास केंद्रीय विधानमंडल के समय से चला रहा है। जब केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस के सदस्य श्यामलाल नेहरू ने ब्रिटिश पक्ष में अपनी निष्ठा बदल ली थी। 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुस्लिम लीग से निर्वाचित सदस्य हाफिज मोहम्मद इब्राहिम कांग्रेस में सम्मिलित हो गए । 1960 के दशक के बाद विशेष कर राज्यों में गठबंधन की राजनीति के उद्भव से दलबदल की समस्या अधिक विकराल होकर राजनीतिक स्थायित्व के लिए खतरा बन गई है।

1967 के आम चुनाव के बाद हरियाणा में विधायक गयालाल ने 15दिन में तीन बार दल बदल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया और वह आयाराम गयाराम के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद भारतीय राजनीति में दलबदलुओं के लिए आयाराम गयाराम नाम से कहावत प्रचलित हो गयी है।

चव्हाण समिति (1969) की रिपोर्ट के अनुसार पहले और चौथे आम चुनाव के बीच की अवधि में लगभग 542 दल बदल के मामले सामने आए थे, वहीं चौथे आम चुनाव के बाद मार्च 1967 से फरवरी 1968 के बीच लगभग 438 दलबदल हुए। कुल निर्वाचित 376 निर्दलीयों में से 157 निर्दलीय इस अवधि में किसी ने किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गए। 1967 से 1969 के बीच 12 राज्यों में लगभग 1500 से अधिक दलबदल हुए। और 313 स्वतंत्र विधायकों ने राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 1971 तक 50% से ज्यादा विधायको ने दलबदल किया था।

वर्ष 1980 में हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने मंत्रिपरिषद के साथ कांग्रेस (आई) में शामिल हो गए। स्वतंत्र भारत में यह पहला मामला था जब किसी सरकार ने ही पाला बदल लिया हो ।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) द्वारा 2016-2020 के बीच दलबदलने वाले विधायकों के ऑकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इस अवधि में 443 विधायकों और सांसदों ने दलदबदल कर फिर से चुनाव लड़ा। जिनमें से 52% पुन: निर्वाचित होने में सफल र हे।इनमें शामिल 405 विधायकों में से 170 (42%) कांग्रेस से अन्य दलों में शामिल होने वाले विधायक थे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि विधानसभा उपचुनाव में दलबदलुओं के जीतने की सफलता दर अधिक थी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन 5 वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में विधायकों के दलबदल के कारण सरकारे गिर गई।

दलबदल शब्द का अर्थ

वेबस्टर डिक्शनरी में दलबदल लैटिन भाषा के शब्द डिफेक्टियो (defectio) समानार्थी है जिसका अर्थ है- जानबूझकर किसी व्यक्ति, कारण या सिद्धांत के प्रति निष्ठा या कर्तव्य का परित्याग करना।

डॉ. सुभाष कश्यप के अनुसार ''दलबदल को निष्ठा, कर्तव्य, सिद्धांत या अपने नेता या उद्देश्य के प्रति त्याग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संसदीय राजनीतिक जीवन में इस शब्द का अर्थ विधानमंडल के सदस्य द्वारा राजनीतिक दल से संबंध या निष्ठा में परिवर्तन करना है।''

इसे फ्लोर क्रॉसिंग, कॉर्पोरेट क्रॉसिंग, बांका जंपिंग आदि अन्य नाम से भी जाना जाता है।

भारतीय राजनीति में दलबदल के प्रमुख कारण प्रभावशाली दलीय नेतृत्व का अभाव, राजनीतिक दलों में आंतरिक गुटबंदी, जनता की उदासीनता, विचारधारात्मक ध्रुवीकरण का अभाव, पद प्राप्ति के लालसा, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का अभाव आदि रहे है।

भारत में दलबदल विरोधी कानून का उद्भव

चौथे आम चुनाव के बाद विकट होती दलबदल की समस्याओं को देखते हुए श्री पी. वेंकट सुब्बैया द्वारा 11 अगस्त 1968 को लोकसभा में एक संकल्प प्रस्ताव रखा। इस संकल्प के आधार पर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री श्री वाई. वी. चव्हाण की अध्यक्षता में सरकार द्वारा दलबदल पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। जिसमें 18 फरवरी 1969 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें दल बदल को रोकने हेतु सुझाव भी दिए गए थे।

दलबदल पर रोक लगाने हेतु संवैधानिक प्रावधान करने के उद्देश्य 16 मई 1973 को 32वें संविधान संशोधन विधेयक, 1973 को लोकसभा में पेश किया गया। पर

पांचवी लोकसभा के विघटन से यह विधेयक भी समाप्त हो गया।

इसी प्रकार एक और असफल प्रयास 18 अगस्त 1978 को 48वें संविधान संशोधन विधेयक, 1978 पेश करके किया गया था, लेकिन सत्ता पक्ष व विपक्ष के कई सदस्यों के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया।

संविधान 52 वां संशोधन अधिनियम 1985 (दलबदल विरोधी कानून)

राजीव गांधी सरकार द्वारा 24जनवरी 1985 को 52वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में रखा जो 1 मार्च 1985 से प्रभावी हो गया। इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में दसवीं अनुसूची शामिल की गई। जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101,102,191 तथा 192 में संशोधन किया गया। इन अनुच्छेदों में संशोधन का उद्देश्य दलबदल को अयोग्यता का आधार प्रदान कर सदन में इसके आधार पर स्थान रिक्त करने का प्रावधान जोड़ना।

दलबदल विरोधी कानून के प्रावधान

पैराग्राफ-1: इसमें सदन, विधायक दल एवं मूल राजनीतिक दल शब्दों का उल्लेख मिलता है।

पैराग्राफ-2: इसमें दलबदल के आधार पर सदन के सदस्यों की निरर्हता का आधार बताए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं-

- यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ता है, या
- वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देश के विपरीत मतदान करता है या अनुपस्थित रहता है लेकिन यदि सदस्य पूर्व अनुमति से या मतदान करने या अनुपस्थित रहने में से 15 दिन के भीतर उसे राजनीतिक दल का द्वारा माफ किया कर दिया जाता है तो सदस्य को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
- यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुने जाने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है
- यदि किसी सदन का कोई मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन की तारीख से 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह सदन का सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित होगा।

पैराग्राफ-3: सदन में यदि किसी राजनीतिक दल के विधायक दल के कम से कम एक-तिहाई सदस्य अपने को मूल राजनीतिक दल से विभाजित कर लेते हैं तो ऐसे सदस्यों पर दल बदल के आधार पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है।

पैराग्राफ-4: सदन के किसी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय हो गया है लेकिन मूल राजनीतिक दल का विलय तभी माना जाएगा जब उसके कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस प्रकार के विलय के लिए सहमत हो।

पैराग्राफ-5: इस अनुसूची में ऐसे व्यक्तियों को छूट प्रदान की गई है जो लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा राज्यसभा उपसभापति अथवा राज्य विधान मण्डल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं।

पैराग्राफ-6: सभापति/अध्यक्ष को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

पैराग्राफ-7: दसवीं अनुसूची के अधीन मामलों में न्यायालय को कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है किहोतो होलाहन बनाम जाचिल्हु व अन्य (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पैराग्राफ को अवैध घोषित कर दिया है।

पैराग्राफ-8: सदन के सभापति/अध्यक्ष को दसवीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

पैराग्राफ 8 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 बनाए गए हैं, जो 18 मार्च 1986 से लागू है।

कानून लागू होने के बाद भी दलबदल की घटनाएं होती रही, कई राज्यों में दलबदल के कारण सरकारे गिराई गई। उदाहरण के लिए गोवा 1989, सिकिक्म 1994 में अरुणाचल प्रदेश 1999 आदि। इन घटनाओं को देखते हुए विभिन्न समितियो व विशेषज्ञों ने दलबदल विरोधी कानून को अधिक मजबूत करने एवं वांछित उद्देश्यों

को प्राप्त करने हेतु दसवीं अनुसूची के प्रावधानों में संशोधन करने की सिफारिश की।

संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2003 को 91 वें संशोधन विधेयक 2003 को लोकसभा में रखा। 2 जनवरी 2004 से यह अधिनियम लागू हो गया।

मुख्य प्रावधान

- इस अधिनियम द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 को समाप्त कर दिया गया। जिसमें विभाजन संबंधी प्रावधान दिए गए थे।
- इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 75 1 (क) व 164 1(क) जोड़ा गया। जिसमें मंत्रीपरिषद की संख्या निश्चित करते हुए लोकसभा/विधानसभा की कुल संख्या के 15% कर दी गई।
- अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 75 1 (ख) व 164 1(ख) भी जोड़ा गया। जो दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित सदस्य को मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य घोषित करता है।
- इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 361 (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि दसवीं अनुसूची में पैरा (2) के तहत अयोग्य घोषित सदस्य 'लाभकारी राजनीतिक पद' को भी धारण करने के लिए निरर्हित किया जाता है।

दसवीं अनुसूची के तहत अपवाद

- दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 और 5 के अंतर्गत कुछ अपवादों का उल्लेख किया गया है, जो सदस्यों की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से संरक्षण प्रदान करते हैं।

  निम्नलिखित स्थितियों में कोई अयोग्यता नहीं होगी:-
- किसी सदन का सदस्य अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा, यदि उसका मूल राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल से विलय कर ले और सदस्य यह दावा करे कि वह ऐसे विलय से गठित नए राजनीतिक दल का सदस्य बन गया है या उसने विलय को स्वीकार नहीं कर एक अलग समूह के रूप में कार्य करने का विकल्प चुना है। सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय तभी माना जायेगा जब संबंधित विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो।
- कोई व्यक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या राज्यसभा उपसभापति या किसी राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचित हुआ है तो वह इस अनुसूची के अधीन निरर्हित नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ सकता है और कार्यकाल समाप्ति के बाद पुन: उसमें शामिल हो सकता है।

दलबदल विरोधी कानून की खामियां

भ्रष्टाचार एवं अनैतिक आचरण को रोकने के उद्देश्य से संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यह कानून अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में आंशिक रूप से ही सफल रहा है। इसके प्रावधानों का दुरुपयोग करके कई राज्यों में सरकारे बदल दी जाती हैं जैसे गोआ (2017) मणिपुर (2017) कर्नाटक (2019) मध्य प्रदेश (2020) में महाराष्ट्र (2022) आदि।

कानून की खामियां निम्नलिखित है

- राजनीतिक दल से स्वेच्छा से सदस्यता त्यागना का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। औपचारिक रूप से सदस्यता छोड़े बिना पार्टी के हितों के विपरीत कार्य करने, चुनाव में किसी अन्य दल के उम्मीदवार का समर्थन करने, सदन के बाहर दलविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का अर्थ क्या लगाया जाना चाहिए?
- विभाजन और विलय संबंधी प्रावधान सामूहिक दलबदल को वैधता प्रधान करते हैं। व्यक्तिगत रूप से जिस कार्य को अनैतिक एवं अवैध माना जाता है उसे सामूहिक रूप से करने पर वैध कैसे ठहराया जा सकता है।
- सदन के पीठासीन अधिकारी को निर्णय लेने की शक्ति देना अतार्किक है, क्योंकि वह अपने राजनीतिक दल से संबंध रखने के कारण निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तथा यह आवश्यक नहीं है कि अध्यक्ष को कानूनी ज्ञान और अनुभव रहा हो।

- दलबदल विरोधी कानून ऐसी असहमति और दलबदल के बीच अंतर नहीं करता है यह विधायक की असहमति और विवेक की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है तथा पार्टी की तानाशाही को बढ़ावा देता है।

न्यायपालिका की भूमिका

- **किहोतो होलाहन बनाम जाचिल्हू और अन्य वाद (1992)** सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पैराग्राफ 7 को छोड़कर अन्य सभी प्रावधानो को वैध माना। न्यायालय ने कहा है कि दसवीं अनुसूची के तहत सभापति/अध्यक्ष अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं अतः उनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
- **रवि एस.नाइक बनाम संजय बांदेकर वाद (1994)**
  इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सदस्य के औपचारिक त्यागपत्र के अभाव में भी किसी सदस्य के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने उसे राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है। स्वेच्छा से सदस्यता त्यागना का का अर्थ त्यागपत्र के समानार्थी न होकर अधिक व्यापक है।
- **जी विश्वनाथन बनाम अध्यक्ष, तमिलनाडु विधानसभा (1996)**
  इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कासित सदस्यों के संबंध में दसवीं अनुसूची के प्रावधान लागू करने करते हुए कहा की भले ही किसी सदस्य की उसकी पार्टी ने निष्कासित कर दिया हो, लेकिन दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के लिए वह राजनीतिक दल का सदस्य बना रहेगा।
- **राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य 2007**
  इस मामले में स्वेच्छा से सदस्यता त्यागने शब्द को अधिक विस्तारित करते हुए यह माना है कि एक पार्टी से निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यपाल को एक पत्र देकर विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने का अनुरोध करना है, अपने आप में उसका अपने दल से त्यागपत्र माना जाएगा।

दलबदल विरोधी कानून में सुधार हेतु सुझाव

- विलय से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जाए तथा अयोग्यता से छूट का आधार संख्या के स्थान पर गंभीर वैचारिक मतभेदों को माना जाए।
- व्हिप केवल उन मामलों में जारी किया जाए जो सदन में सरकार की निरंतरता व अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ऐसे प्रावधान करने से पार्टी अनुशासन और सदस्यों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों की सुरक्षा हो सकेगी।
- दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने की शक्ति सभापति/अध्यक्ष के बजाय स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण या राष्ट्रपति/राज्यपाल को सौपी जाए तथा निर्णय लेने हेतु निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए।
- स्वेच्छा से सदस्यता त्यागना तथा राजनीतिक दल आदि शब्दों की स्पष्ट तथा अधिक विस्तृत व्याख्या की जाए।

निष्कर्ष

दलबदल विरोधी कानून बनाने के पीछे का उद्देश्य निश्चित रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अनैतिक खरीद-फरोख्त को रोकना रहा है। यह कानून व्यक्तिगत दलबदल को रोकने में सफल भी रहा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस ने 2016-2020 के बीच दलबदल का अध्ययन किया है इसमें कहा गया है कि इन 5 वर्षों में मध्य प्रदेश मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में विधायकों के दलबदल के कारण सरकारें गिर गयी। इसलिए दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट, पारदर्शी एवं कठोर बनना वर्तमान समय की मुख्य जरूरत बन गई है ताकि कानून को अधिक प्रभावी बनाया जाए जिससे निर्वाचित सरकारें अपने अस्तित्व/स्थायित्व की चिंता छोड़कर जनकल्याण पर अधिक ध्यान दे सके।

संदर्भ सूची

1. वाई. वी. चव्हाण समिति रिपोर्ट, 1969.
2. संविधान की कार्यप्रणाली की जांच हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट, 2002.

3. मल्होत्रा, जी. सी., एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ, लोकसभा सचिवालय, 2005.
4. कश्यप, सुभाष सी., एंटी डिफेक्शन लॉ एंड पार्लियामेंट्री प्रविलेज, मोहन लॉ हाउस, चतुर्थ संस्करण, 2023.
5. कश्यप, सुभाष सी., द पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1974.
6. कौशिक, डा. सुशीला भारतीय शासन एवं राजनीति हिंदी माध्यम कार्यान्वयन। निदेशालय, दिल्ली, 1990.
7. भाटिया, गौतम, वाय द एंटी डिफेक्शन लॉ हेज फेल्ड टू डिलीवर, द हिन्दुस्तान टाइम्स 30 जुलाई, 2020.
8. जैन योगेन्द्र, भारत में दलबदल रोधी कानून का प्रतिमान एक सुधारात्मक विश्लेषण, आईजेएनआईआर, वॉल्यूम 6 अप्रैल-जून 2019.
9. टाईम टू रिलुक एट द एंटी डिफेक्शन लॉ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) रिपोर्ट, 2022.